

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसामुकदमा संख्या
27/23तारीख रजू
09.06.23तारीख निर्णय
13.09.25**बउनवान**

1. अजीत मीना पुत्र श्री समय सिंह मीना नावालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती वीना देवी पत्नि श्री समय सिंह जाति मीना निवासी जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा

...वादी

बनाम

1. सेड्या मीना पुत्र श्री घसीडया राम
2. संतो देवी पत्नि सेड्याराम
3. समय सिंह मीना पुत्र श्री सेडया राम
4. रामरूप मीना पुत्र श्री सेडया
5. गोपेश पुत्र समय सिंह नावालिंग जरिये संरक्षक पिता समय सिंह मीना पुत्र श्री सेडया मीना जाति मीना निवासी जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)
6. केशी पुत्री सेडया पत्नि रामकेश जाति
7. गीता पुत्री सेड्या मीना पत्नि मोहन
8. गौरन्ती पुत्री सेडया पत्नि अशोक जाति मीना निवासी उकेरी, तहसील रैणी जिला अलवर (राज.)
9. घम्मन पुत्र श्री घसीडया
10. सुरजान पुत्र प्रभू
11. प्रकाश पुत्र प्रभू
12. सुगनवाई पुत्री सोन्या पत्नि सोहनलाल जाति मीना निवासी इतरामपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर (राज.)
13. उप पंजीयक मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा

...प्रतिवादीगण

उपस्थित : 1.अभिभाषक वादीगण - श्री प्रीतम चन्द सैनी

2.प्रतिवादीगण -स्वयं।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। वादी /प्राथी की ओर से जरिये वकील ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में प्राथी आगे कोई भी कार्यवाही नहीं


उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

चाहता है। इस बाबत वकील वादी ने पत्रावली पर नोट प्रेस किया एवं पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने वादीगण व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दावा अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा में वादी आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। दावा के नोट प्रेस की अनुमति देने में कोई विधिक अडचन नहीं है। अतः दावा को राष्ट्रीय लोक भावना से प्रेरित होकर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा सुनाया गया।



सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा



न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा